

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षकों की विभागीय परीक्षा
DEPARTMENTAL EXAMINATION OF INSPECTORS OF CENTRAL EXCISE

प्रश्न पत्र – प्रथम (PAPER - I)
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पुस्तक रहित) – CENTRAL EXCISE (Without Books)

दिनांक : 10.12.2013 (DATE: 10.12.2013)
समय : 10.00 पू. से 1.00 अ. (Time: 10.00 AM TO 1.00 PM)

पूर्णांक : 100 (MAXIMUM MARKS : 100)
उत्तीर्णांक : 50 (PASS MARKS : 50)

टिप्पणी :

किन्हीं सात प्रश्नों का उत्तर दें। प्रश्न संख्या 6 व 8 अनिवार्य हैं।

प्रश्न संख्या 06 जिसके लिए 10 अंक हैं उसको छोड़कर सभी प्रश्नों के लिए 15 अंक हैं।

Note :

Attempt any seven questions. **Question No. 6 & 8 is compulsory.**

All questions carry 15 marks except Q.No.6 which carry 10 marks.

प्रश्न सं० 1. निम्नलिखित पदों/शब्दों में से किन्हीं पाँच को परिभाषित करें।

(क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944

i. उत्पाद शुल्क योग्य माल

ii. कारखाना

iii. थोक विक्रेता

(ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002

i. निर्धारित (एसेसी)

ii. शुल्क

(ग) सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004

i. छूट प्राप्त सेवा

ii. निवेश सेवा वितरक

Q. No.1. Define any five of the following terms:-

(a) Central Excise Act 1944.

i. excisable goods

ii. factory

iii. wholesale dealer

(b) Central Excise Rules 2002.

i. assessee

ii. duty

(c) Cenvat Credit Rules 2004

i. exempted service

ii. input service distributor

प्रश्न सं० 2. निम्नलिखित में से किन्हीं तीन के विधि उपबंधों की संक्षिप्त व्याख्या करें।

1. शुल्क के भुगतान का प्रकार।

2. कारखाने में लायी गई वस्तुओं पर शुल्क का क्रेडिट।

3. शुल्क की छूट।

4. सेनवेट ड्यूटी की वापसी।

5. डिपो के माध्यम से समाशोधित (वारित) उत्पाद शुल्क योग्य माल का मूल्यांकन।

Q. No.2. Briefly explain the legal provisions about any three of the following –

i. Manner of payment of duty.

ii. Credit of duty on goods brought to the factory.

iii. Remission of duty.

iv. Refund of CENVAT credit.

v. Valuation of excisable goods cleared through depot.

प्रश्न सं० 3. निम्नलिखित में से किन्हीं तीन का उत्तर दें :

१. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधीन अनुद्यूहीत या असंदन्त या आंशिक संदन्त या कम संदन्त या भूल से वापस किए गए शुल्क की वसूली हेतु विधिक उपबन्धों की व्याख्या करें।
२. किन परिस्थितियों के अधीन कारण बताओं नोटिस द्वारा मांग किए जाने वाले शुल्क के 50% के समतुल्य अर्थदण्ड के अधिरोपण का प्रस्ताव किया जा सकता है ?
३. उन अवस्थितियों की व्याख्या करें जब केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों द्वारा कारण बताओं नोटिस तामील नहीं किया जाएगा।
४. उस अवस्थिति की व्याख्या करें जब कथन का तामील, नोटिस का तामील माना जाएगा।

Q. No.3. Answer any three the following:-

- i. Explain the legal provisions under Central Excise Act for recovery of duties not levied or not paid or sort levied or short paid or erroneously refunded.
- ii. Under which circumstances Show Cause Notice can propose levy of penalty equivalent to 50% of the duty to be the demanded.
- iii. Explain the situations when Central Excise Officers shall not serve Show Cause Notice.
- iv. Explain the situation when service of the statement shall be deemed to be service of notice.

प्रश्न सं० 4. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विधि के अधीन उत्पाद शुल्क प्रभारित करने हेतु कौन-सा कार्य कर योग्य है ? किस प्रकार उत्पाद शुल्क विक्रय कर/वैट से भिन्न है ? किस अवस्था (स्टेज) में उत्पाद शुल्क का संग्रहण किया जाता है ? उत्पाद शुल्क अधिनियम के अधीन प्रभारित करने वाली धारा की व्याख्या करें।

Q. No.4. Which act is taxable for charging Excise duty under Central Excise Law? How different is Excise Duty from Sales Tax / VAT? At what stage duty of excise is collected? Explain the charging Section under Central Excise Act.

प्रश्न सं० 5. सेनवेट क्रेडिट नियम 2004 के अनुसार तैयार उत्पाद का कोई विनिर्माता या उत्पादक और उत्पाद सेवा का व्यवस्थापक हो जो शुल्क योग्य वस्तुओं या कर योग्य सेवाओं के अतिरिक्त छूट प्राप्त वस्तुओं का विनिर्माण भी कर रहा हो या छूट प्राप्त सेवाओं को उपलब्ध करा रहा हो, तो उसकी क्या-क्या बाध्याताएँ होती हैं ?

Q. No.5. What are the obligations of a manufacturer or producer of final product and a provider of output service when he is also manufacturing exempted goods or providing exempted services in addition to dutiable goods or taxable services as per CENVAT Credit Rules, 2004?

प्रश्न सं० 6. वर्ष 2012-13 वित्तीय वर्ष में किसी विनिर्माता के शुल्क योग्य वस्तुओं की निकासी रूपए 5.5 करोड़ हो जिसमें नेपाल और भूटान के लिए निकासी में रूपए 0.60 करोड़ का निर्यात पण्यवर्त, अन्य देशों को निर्यात पण्यवर्त रूपए 0.75 करोड़, छूट प्राप्त वस्तुओं की निकासी (दिनांक 25.3.86 की 214/86 सी०ई० या 11-04-1994 की 83/94 सी०ई० या 11-04-1994 की 84/94 सी०ई० की अधिसूचना संख्या से भिन्न) रू० 0.30 करोड़ और अन्य निकासी की गई ब्रांडेड वस्तुओं का पण्यवर्त 0.55 करोड़ सम्मिलित हो तो क्या वह वर्ष 2013-14 में लघु उद्योग छूट के लिए पात्र होगा ? कृपया अपने उत्तर को न्यायोचित सिद्ध करें।

Q.No.6. The clearance of excisable goods by the manufacturer in the financial year 2012-13 was Rs.5.5 Crores including export turnover of Rs.0.60 Crores for clearance to Nepal and Bhutan, export turnover to other countries Rs.0.75 Crores, clearances of exempted goods (other than under notification no.214/86-CE dated 25.03.86 or 83/94-CE dated 11.04.1994 or 84/94-CE dated 11.04.1994) Rs.0.30 Crores and clearance turnover of branded goods of others Rs.0.55 Crores. Will he be eligible for Small Scale Exemption in the year 2013-14? Please justify your answer.

प्रश्न सं० 7. सी०बी०ई०सी० उत्पाद शुल्क नियम पुस्तिका के संलग्नक के निम्नलिखित संक्षिप्त शीर्षक में से किसी पाँच के सम्बन्ध में प्रयोजन और सम्बन्धित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम का वर्णन करें।

- | | | |
|------------|-------------------|--------------|
| 1. ई०आर०, | 2. ए०आर०ई०-3, | 3. सी०टी०-3, |
| 4. ई०ए०-8, | 5. एस०सी० (ई०)-1, | 6. फार्म-ए |

Q. No.7. Please state the purpose and the corresponding Central Excise Rule in respect of any five of the following short title of Annexure to CBEC Excise manual –

- | | | |
|----------|------------|------------|
| i. ER-4 | ii. ARE-3 | iii. CT-3 |
| iv. EA-8 | v. SC(E)-1 | vi. Form-A |

प्रश्न सं० 8. यदि अप्रैल, 2012 में पूंजीगत माल (कम्प्यूटर से भिन्न) प्राप्त किया जाता है (संदर्भ शुल्क रु० 1,00,000/-) जिस पर अप्रैल, 2012 में 50% अर्थात् रु० 50,000/- क्रेडिट लिया गया, शेष 50% क्रेडिट अप्रैल, 2013 में लिया गया और सितम्बर, 2013 में रु० 8,00,000/- में उसे उपयोग के बाद बेचा गया तो सितम्बर, 2013 में पूंजीगत माल के समाशोधन के समय पर निर्धारित द्वारा प्रतिवर्तित किए जाने वाले सेनवेट क्रेडिट की धनराशि का संगणन करें (उचित प्रमाण सहित)। पूंजीगत माल पर प्रयोज्य शुल्क की दर 12% है।

Q.No.8. If Capital Goods (other than computers) are received in April, 2012 (duty paid ₹1,00,000), 50% i.e. ₹50,000 credit was taken April, 2012, balance 50% credit was taken in April, 2013 and were sold after use in September, 2013 for ₹8,00,000, Calculate the amount of CENVAT Credit to be reversed (with proper justification) by the assessee at time clearance of Capital Goods in September, 2013. Rate of duty applicable on Capital Goods is 12%.

प्रश्न सं० 9. कृपया यह इंगित करें कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य है ?

1. सहायक आयुक्त रूपए 20 लाख तक के शुल्क की मांग हेतु कारण बताओं नोटिस (एस०सी०एन०) जारी कर सकता है।
2. अपर आयुक्त सहायक आयुक्त द्वारा पारित मूल आदेश की समीक्षा कर सकता है।
3. उस महीने के अन्त में शेष बचे हुए सेनवेट क्रेडिट का उपयोग करके केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान किया जा सकता है जिस माह का उत्पाद शुल्क देय है।
4. शुल्क की घटौती के मामले में आयुक्त (अपील) के आदेश के खिलाफ केन्द्रीय सरकार के समक्ष अपील हो सकती है।
5. यदि मूल्यांकन/वर्गीकरण का निर्गम सेस्टेट (सी०ई०एस०टी०ए०टी०) द्वारा किया गया हो तो अपील माननीय उच्च न्यायालय में की जायेगी।
6. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम/नियम के अधीन पारित कोई निर्णय या आदेश या जारी कोई समन या नोटिस किसी भी कोरियर के माध्यम से भेजकर तामील किया जा सकता है।
7. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 32 के अधीन शुल्क के अवक्षेपण के दावे को विचार में लाए बिना पूंजीगत वस्तुओं के सम्बन्ध में सेनवेट क्रेडिट मंजूर किया जा सकता है।
8. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 में निवेश सेवा परिभाषित की गई है।
9. निर्धारित निपटारा आयोग के पास तभी जा सकता है जब मामले में अन्तर्निहित धनराशि 3 लाख से अधिक हो।
10. प्रथम प्रक्रम व्यवहारी (व्यापारी) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग को वितरणी जमा करने के लिए बाध्य नहीं है।
11. कोई लघु उद्योग विनिर्माता एक वित्तीय वर्ष में रु० 100 लाख तक की निकासी के मूल्य पर छूट प्राप्त कर सकता है।
12. लघु उद्योग छूट के लिए निकासी के मूल्य की संगणना करते समय अन्य ब्रांडेड माल की निकासी सर्वद्वय समावेश करने योग्य है।
13. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा-5'ए' के अधीन भारत सरकार शुल्क से छूट मंजूर करने हेतु अधिसूचना जारी कर सकती है।

14. सम्बन्धित विभाग द्वारा आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की अवधि न्याय निर्णय अधिकारी के आदेश प्राप्त करने की तिथि से 4 माह हो सकती है।
15. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के विलम्बित भुगतान के लिए ब्याज की दर 15% है।

Q.No.9. Please indicate whether the following statements are TRUE or FALSE?

- i. Assistant Commissioner can issue SCN for demand of duty up to Rs.20 lakhs.
- ii. Additional Commissioner can review the Order-in-Original passed by the Assistant Commissioner.
- iii. Payment of Central Excise duty can be made by utilizing the CENVAT Credit lying in balance at the end of the month of which excise duty is payable.
- iv. In the case of rebate of duty, an appeal against the order of Commissioner (Appeals) lies before the Central Government.
- v. In case issue of valuation / classification is decided by CESTAT, the appeal against such order shall lie before Hon'ble High Court.
- vi. Any decision or order passed or any summons or notices issued under Central Excise Act / Rules may be served by sending it through any Courier.
- vii. CENVAT Credit in respect of Capital Goods shall be allowed irrespective of claiming depreciation of duty under Section 32 of Income Tax Act, 1961.
- viii. Input Service is defined in Central Excise Rules, 2002.
- ix. The assesses can approach to Settlement Commission only if amount involved in the case is more than 3 lakhs.
- x. First Stage Dealer is not bound to file return with the Central Excise Department.
- xi. Small Scale manufacturer can get exemption from the value of clearance upto 100 lakhs in a financial year.
- xii. Clearances of branded goods of others are always includable while computing value of clearance for SSI exemption.
- xiii. Government of India issues notification granting exempting from duty under Section-5A of Central Excise Act.
- xiv. Period for filing appeal before Commissioner (Appeal) may be four months by the department from the date of communication of the decision or order of the adjudicating authority.
- xv. Rate of interest for delayed payment of Central Excise duty is 15%.

- प्रश्न सं० 10.** 1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की प्रथम अनुसूची के अधीन उत्पाद के वर्गीकरण हेतु सेवशन नोट और चैप्टर नोट के महत्व की व्याख्या करें।
2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ सीमा शुल्क टैरिफ से किसी प्रकार भिन्न है? केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ में किसी उत्पाद का आठ अंको वाला वर्गीकरण कोड (संकेत) कब अस्तित्व में आया ?
3. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित शब्दों (पदों) का क्या अर्थ है ?
- (क) हेडिंग (ख) सब-हेडिंग (ग) टैरिफ आइटम

- Q.No.10**
- i. Explain the importance of Section note and Chapter note for classifying a product under First Schedule to Central Excise Tariff Act, 1985.
 - ii. How Central Excise Tariff is distinct from Customs Tariff? When did eight digits classification code of a product came into existence in Central Excise Tariff?
 - iii. What is the meaning of following terms in the First Schedule of the Central Excise Tariff Act?
- a. Heading b. Sub-Heading c. Tariff Item